

29

फर्द अहकाम

मिथिला

(नियम 13)

CRMS

2020/000230  
12-01-2021

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

निबंलकोट

गोमाराण, गैराशाण, पि-साइल  
कौम जाट शाणपनेनी चरवाणके की  
डाणी

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सन्

मु.न. 29/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-9-2020	<p>पटवारी हल्का निबंलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा पनेनी चरवाणके के खसरा संख्या 220/2 रकबा 0.0647 की किस्म भूमि के राजस्व पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16-9-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-वाडमेर</p>	
16-9-2020	<p>पत्रावली आण पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देते अवलट डिमा जाकर पत्रावली दिनांक 30-9-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-वाडमेर</p>	

30-9-2020

पत्रावली भाण्डपेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित।  
गैर सामल को जवाब देना प्रकल दिनांक पर  
पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली भाण्डपेश हुई। गैर सामल  
अनुपस्थित। गैर सामल को मासिक  
माने हुए पत्रावली फेलो सुगाट  
है। निर्वाह मलय ले लिखा जाकर  
शाखिक पत्रावली है। निर्वाह सुले-शाखात्मक  
के सुनाया गया। पत्रावली फेलो सुगाट  
है। शाखिक इफ्तार है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर